

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर

(जी-03, राजमहल, रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर-302015)

क्रमांक:- मॉ.प्र./डी.एल.बी./कन्ट्रोल रूम/जन आन्दोलन/5741-5953 दिनांक :- 26/11/2020
आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद्/पालिका,
समस्त, राजस्थान।

विषय:- कोरोना जन-आन्दोलन की अवधि दिनांक 30.11.2020 तक बढ़ाये जाने के
क्रम में।

प्रसंग:- मॉ.प्र./डी.एल.बी./कन्ट्रोल रूम/जन आन्दोलन/4311 दिनांक 22.10.2020
की निरन्तरता में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्तमान समय में कोविड-19 वायरस संक्रमण के
फैलाव को देखते हुये माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के दौरान दिये
गये निर्देशों के क्रम में उक्त अभियान की अवधि दिनांक 30.11.2020 से बढ़ाकर दिनांक 31.12.2020
तक की जाती है। सभी निकायों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अभियान के सभी घटकों की
प्रगति को नियमित रखते हुये इसे सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ चलायें रखें।

(दीपक मंडी)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक:- मॉ.प्र./डी.एल.बी./कन्ट्रोल रूम/जन आन्दोलन/5954-6179 दिनांक :- 26/11/2020
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, श्रीमान् प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।
3. उप सचिव, माननीय मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. जिला कलेक्टर समस्त राजस्थान।
7. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद्/पालिका, समस्त राजस्थान।
8. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
9. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. प्रवीण कुमार)
अतिरिक्त निदेशक